न्यायालय परगना अधिकारी, रामपुर

वाद सं० 13/08 — धारा-143ज०वि०अधि०।

वेल्कम० उद्योगशिक्षा संस्थान रामपुर — मौजा- खीमपुरयानन्दन।

द्वारा अध्यक्ष, जगदीशचन्द चौहान। — परगना- रामपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

नकल -:आदेश:- दि. 23-12-08 (5 90 Q)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी वेल्कम० उद्योगशिक्षा संस्थान रामपुर द्वारा अध्यक्ष, जगदीशचन्द चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर आरम्भ की गई। जिसमें वादी द्वारा कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम खीमपुरयानन्दन गाटासं०23मि० 1.000हैक्टे० भूमि टैक्नीकलशिक्षा हेतु ली थी तथा प्रश्नगत भूमि में खेती का कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रश्नगत भूमि को आबादी में घोषित करते हुए लगान समाप्त करके आबादी में इन्द्राज के आदेश पारित करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रामपुर से जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार रामपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 23-12-2008 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम खीमपुरयानन्दन गाटासं० 23मि० रकबा 2.435हैक्टे० लगान 66.20पैसे है खतौनी में वेल्कम० उद्योगशिक्षा संस्थान रामपुर द्वारा अध्यक्ष जगदीशचन्द चौहान पुत्र किशनलाल निवासी पहाड़ी दरवाजा रामपुर का नाम बतौर संक्र०भूमिधर दर्ज है। जो खतौनी आकारपत्र-45 के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्र०भूमि० है। प्रश्नगत भूमि ग्रामसमाज, पट्टे, सीलिंग से प्रभावित नहीं है। मौके पर गाटासं०-23मि०/2.435हैक्टे० में से 1.518हैक्टे० आबादी घोषित हो चुकी है। इस प्रकार 0.917हैक्टे० भूमि आबादी घोषित किये जाने हेतु शेष बचती है। जो वर्तमान समय में मौके पर परती (खाली) पड़ी है। उक्त भूमि में कृषिकार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है। अतः ग्राम खीमपुरयानन्दन खातासं०-66 गाटा सं०-23मि०/2.435हैक्टे० लगान 66.20पैसे में से रकबा 0.917हैक्टे० लगान 22.70पैसे को आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। तथा प्रार्थी को सुना तथा प्रार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा तहसीलदार रामपुर की आख्या दिनांकित 23-12-2008 से सहमत होते हुये वेल्कम० उद्योगशिक्षा संस्थान रामपुर द्वारा अध्यक्ष, जगदीश चन्द चौहान की भूमि स्थित ग्राम खीमपुरयानन्दन परगना व तहसील रामपुर गाटासं०-23मि० रकबा 0.917हैक्टे० लगान 22.70पैसे पर कृषिकार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी आदि का कार्य न होने के कारण प्रश्नगत उक्त भूमि को अकृषिक भूमि (आबादी) घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार रामपुर को वांछित अंकन किये जाने हेतु एवं एक प्रति उपनिबन्धक, रामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 23-12-2008

23/12/08
(अरविन्द० तिवारी)
परगनाधिकारी रामपुर

नकल संख्या 62
नाम नकलनवीस ...
प्रार्थना पत्र 23-12-08
... 23-12-08
... 23-12-08
... रामपुर
... 13-08
... नकल नवीस
... पूर्णकर्ता मुंशिका

प्रमाणित प्रतिलिपि
पेशकार 23-12-2008
परगनाधिकारी
रामपुर

@ F5 Rs 13-08

TWO RUPEES TWO RUPEES TWO R TWO RU FIVE RUPEES INDIA